रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2002/चैत्र 1, 1924
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2002/CHAITRA 1, 1924

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2002

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्र सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17 क की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी. एस आर 640 (ई), दिनांक 4 सितम्बर, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए जा चुके या हटाए गए कार्यों को छोड़कर, छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करने के बाद, केन्द्र सरकार के स्वामित्व में तथा उसके द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम खनिज गवेषण निगम लिमिटेड की मार्फत, कुदाग, बाटा एवं राजेन्द्रपुर गाँवों में 377.116 हैक्टेयर क्षेत्र (23 अक्तूबर, 1996 को स्वीकृत), तातीझरिया, बेटपानी चारहट खुर्द तथा गोपातू गाँवों में 1218.726 हैक्टेयर (20 मई, 1998 को स्वीकृत), सामरी, कुटकू, अमताही, गोपातू, दुमरखोली, राजेन्द्रपुर, चारहाट कलां दतराम गाँवों में 2146 746 हैक्टेयर (20-5-1998 को स्वीकृत) क्षेत्रों को छोड़कर, जिनमें से प्रत्येक को हिंडालको इडस्ट्रीज (हिंडालको) को, 20 वर्ष की अवधि के लिए, खनन पट्टे पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में बॉक्साइट धारक क्षेत्र को क्षेत्रीय गवेषण एवं अन्य पूर्वेक्षण प्रचालन करने हेतु आरक्षित करती है तथा घोषणा करती है कि ऐसे आरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर 350 वर्ग कि. मी क्षेत्र में तथा नीचे निर्दिष्ट खनिज हेतु (खनन पट्टे के तहत हिंडालको को पहले ही दिए जा चुके क्षेत्र को छोड़कर) कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, नामत:

जिला :	सरगुजा
क्षेत्र :	जमीरापेट पठार में जमीरपेट, घुटाई, तातीझरिया, सेरंगडाग, चारहाट, कुदाग दुमाखोली, सामरी, अमथाली तथा सारजोम निक्षेप— टोपोशीट संख्या 64 एम/15 अक्षांश और देशांतर द्वारा रेखांकित क्षेत्र
अक्षांश	23° 18' 50" - 23° 30' 0" उत्तर
देशांतर	83° 50' - 84° 00' पूर्व
खनिज	बाक्साइट

यह आरक्षण इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

[फा. सं. 4/7/2000-खान-6]

सत्यप्रिय गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2002

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1A) of Section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and in supersession of Gazette Notification of Government of India, in the Ministry of Mines number G.S.R 640(E) dated the 4th September, 2001 published in the Gazette of India excepts as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the State Government of Chhattisgarh, reserves for undertaking regional exploration and other prospecting operations, through the Mineral Exploration Corporation Limited (MECL), a Public Sector Undertaking owned and controlled by the Central Government, of the Bauxite bearing areas in Surguja District of the State of Chhattisgarh barring the areas measuring 377 116 hect. in Kudag, Bata and Rajendrapur villages (granted on 23rd October, 1996), 1218 762 hect in Tatijharia, Betpani, Charhat Khurd and Gopatu villages (granted on 20th May, 1998) and 2146.746 hect in Samri, Kutku, Amtali, Gopatu, Dumerkholi, Rajendrapur, Charhat Kalan, Datram villages (granted on 20-5-1998) which are held under mining leases by Hindalco Industries Ltd. (HINDALCO) for a period of twenty years each and declares that no prospecting licence or mining lease shall be granted in an area of 350 sq. kms. lying within the boundary of such reserved area and for the mineral specified below [excluding the area already held by HINDALCO under the mining lease], namely .—

District	Surguja
Area :	Jamirapat, Chutai, Tatijharia, Scrangdag, Charhat, Kudag, Dumarkholi, Samri, Amthali and Sarjom Prospects in Jamirapat plataeu—part of toposheet No. 64M/15

Area demarcated by Latitude and Longitude .

Latitude	23° 18' 50"—23° 30' 0"N
Longitude	83° 50'—84° 00'E
Mineral	Bauxite

The reservation shall be in force for a period of two years from the date of this notification.

[F No. 4/7/2000-M. VI]

S P. GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.